Attention EPF member!!

It is hereby notified that with effect from 1st April 2021 the IFSC of Andhra Bank, Oriental Bank of Commerce, Allahabad Bank, Syndicate Bank, United Bank of India and Corporation Bank has become invalid. Member needs to get the correct IFSC added through employer as till then no online claim filing will be facilitated.

Kindly get the correct IFSC from your bank and get the details uploaded and approved. This will ensure that member's claim amount is not returned by banks.

EPF सदस्य ध्यान दें !!

यह सूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल 2021 से आंध्र बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक का IFSC अमान्य हो गया है। सदस्य नियोक्ता के माध्यम से सही IFSC जोड़े, तब तक कोई ऑनलाइन दावा दाखिल नहीं किया जा सकेगा।

कृपया अपने बैंक से सही IFSC प्राप्त करें और IFSC का विवरण अपलोड और अद्यतन करें। यह सुनिश्चित करेगा कि सदस्यों की दावा राशि बैंकों द्वारा वापस नहीं की गई है।